प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद खीरी (दिनांक 21.10.20)

थाना ईसानगर क्षेत्रान्तर्गत हुई दुष्कर्म की घटना के अभियुक्तों के विरूद्ध की गई एनएसए की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में थाना ईसानगर खीरी में पंजीकृत मु0अ0सं0 396/20 धारा 302/201/376डीए भा0द0विव 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण

1. संतोष यादव पुत्र मदनलाल निवासी पकरिया थाना ईसानगर खीरी व अभियुक्त
2. संजय गौतम उर्फ सालिकराम पुत्र रामजीवन निवासी पकरिया थाना ईसानगर खीरी

जिनके द्वारा दि0 14.08.2020 को ग्राम पकरिया थाना ईसानगर में नाबालिग लड़की उम्र 13 वर्ष के साथ सामूहिक दुराचार कर निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर शव को छिपा दिया गया था जिससे आम जनमानस एवं महिलाओं एवं लड़कियों में भय व असुरक्षा का महौल व्याप्त हो गया है व लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। उक्त अभियोग में बाद विवेचना उक्त दोनो अभियुक्तो के विरुद आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है। अभियुक्तगण अपनी जमानत पाने हेतु सतत प्रयत्नशील है एवं इनके द्वारा अपनी जमानत पाने के लिये सक्षम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है जिसमें अग्रिम तिथि 20.10.2020 नियत है अभियुक्तगण यदि जमानत पर रिहा हो जाते है तो इनके द्वारा इस प्रकार के क्रूर एवं जघन्य अपराध करने में लिप्त होने की सम्भवाना है जिससे आम जनमानस एवं महिलाओं व लड़कियों में असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा।

अतः आम जनमानस में सुरक्षाकी भावना पैदा करने व अभियुक्तों को अपराध से रोकने के लिये इनके विरूध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट खीरी महोदय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कारागार खीरी में निरूध उक्त अभियुक्तों के विरूध उक्त धारा में प्रेषित नोटिस दिनांक 19.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक ईसानगर खीरी द्वारा तामील कराया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0 1980 की कार्यवाही प्रचलित है।